संख्या- 38/2022/81/35-3-2022-15(01)/2019

प्रेषक,

डा0 संजीव भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
नियोजन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखीमपुर-खीरी ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2022**

विषय:वित्तीय वर्ष 2019-20 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-लखीमपुर-खीरी हेतु स्वीकृत सी0सी0 रोड निर्माण कार्यों के सापेक्ष राज्यांश की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-34/2020/394/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-लखीमपुर-खीरी में सी0सी0 रोड निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 559.46 लाख (रू. पांच करोड़ उन्सठ लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 335.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तालिका के क्रमांक-1 एवं 2 पर अंकित परियोजनायें शासनादेश संख्या-34/2020/394/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी।

शासनादेश संख्या-37/2020/398/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा जनपद-लखीमपुर-खीरी में सी0सी0 रोड निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में लागत रू. 115.82 लाख (रू. एक करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये केन्द्रांश के रूप में रू. 69.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तालिका के क्रमांक- 3 पर अंकित परियोजना शासनादेश संख्या-37/2020/398/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 द्वारा निर्गत की गयी थी।

जनपद-लखीमपुर-खीरी द्वारा केन्द्रांश के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित कार्यों की अनुमोदित लागत के दृष्टिगत केन्द्रांश के सापेक्ष देय, राज्यांश की धनराशि रू. 71.05 लाख (रू. इकहत्तर लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र. सं.	विकासखंड का नाम	परियोजना का नाम	पी.एफ.ए.डी./एस.एल. एस.सी एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत (जी.एस.टी . नियमानुसार/ वास्तविक व्यय के आधार पर देय होगी)	पूर्व में स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश 60 प्रतिशत)	स्वीकृत धनराशि (राज्यांश 40 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6
	कार्यदायी संस्था-ग्रामीण अभियत्रंण विभाग				
1	पलिया	ग्राम कीरतपुर से सीमा चौकी कीरतपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य (ल0 800 मी0)।	59.56	35.74	23.82
2	पलिया	कीरतपुर ग्राम में प्रा0 वि0 कीरतपुर से उ0प्र0 विद्यालय कीरतपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य (ल0 800 मी0)।	64.62	38.77	25.85
3	**रमियाबेहड़**	ग्राम पंचायत खैरटिया के मजरा राजूनगर के द्वितीय भाग में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य (ल0 854 मी0)	53.46	32.08	21.38
		योग	**177.64**	**106.59**	**71.05**

शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपर्युक्त तालिका में कार्यदायी संस्था का नाम अंकित किया गया है।

1- सन्दर्भित शासनादेश संख्या-34/2020/394/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 एवं शासनादेश संख्या-37/2020/398/35-3-2020-15(01)/2019, दिनांक 09 नवम्बर, 2020 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से सी0सी0 रोड निर्माण की परियोजनाओं हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

5- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी **जिलाधिकारी** की होगी तथा **जिलाधिकारी** यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नही होगा।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग यथास्थिति प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा पी0डी0एफ0 के पृष्ठ-5/7 पर अंकित शर्तो एवं निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन एवं स्वीकृति आलेख्य में समावेश किया जायेगा।

7- जिलाधिकारी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

8- **जिलाधिकारी** द्वारा समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापरक कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों , समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10-**जिलाधिकारी** द्वारा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

11-**जिलाधिकारी** यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

12-उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसे **जिलाधिकारी** अपने स्तर से सुनिश्चित करना चाहेंगे।

13-वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तो का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14-**जिलाधिकारी** द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

15-**जिलाधिकारी** द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या -40-में लेखाशीर्षक-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-09-सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था (केन्द्रांश-60/राज्यांश-40-के.-रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई0-5-3544/दस-2021-2022, दिनांक 30 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव

संख्या- 38/2022/81(1)/ 35-3-2022-15(01)/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण एवं पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल।
4- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,प्रयागराज ।
5- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
8- कोषाधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-5 ।
10-उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) लखनऊ मण्डल।
11-अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखीमपुर-खीरी ।
12-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1
13-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।